न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 25.07.2016

श्योजी पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक .....प्रार्थी

बनाम

1–धन्ना पुत्र बंशी जाति ब्राहमण निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
2–सीता पत्नि धन्ना जाति ब्राहमण निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
3–भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी पीपलू
.....अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री विवके चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

निर्णय दिनांक 06.02.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.12.2001 को प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 को आ0ख0नं0 261 / 3 रकबा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया है कि मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नही की गई है। आवंटी ने आवंटन नियमो की पालना नही की है। आवंटित भूमि पर गत 30–40 वर्ष से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त नही की है। आवंटी पेशे से काश्तकार भी नही है। प्रार्थी ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थी स्वंय भूमिहीन है। आवंटन के समय उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे मे होने से रिक्त भूमि नही थी। आवंटन करने से पहले आवंटन समिति ने प्रार्थी को नही सुना है। प्रतिपक्षीगण ने छल–कपट करके आंवटन करवाया है। आवटन मात्र कागजी कार्यवाही है। अत आवंटन निरस्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू- आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आ0ख0न0 261/3 मे रकबा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हरिपुरा मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि प्रतिपक्षीगण की खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। विपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी धन्ना पुत्र बंशी व सीता पत्नि धन्ना जाति ब्राहमण निवासी हरिपुरा को भू-आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 15.12 2001 को आ0ख0न0 261/3 रकबा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हरिपुरा मे आवंटन किया गया है। आवंटन के बाद उक्त भूमि दिनांक 28.12.2001 को आवंटी को सुपुर्दगी मे दी गई है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर मेरा 30-40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जा काश्त करने मात्र से भूमि पर कोई अधिकारिता सिद्व नही होती है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त भूमि आवंटन करने से पूर्व भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया गया है,परन्तु प्रार्थी द्वारा भू-आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। वर्तमान मे आवंटित भूमि मदन लाल,श्योजीराम,श्योनारायण व संतोक की खातेदारी मे दर्ज है।प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर धन्ना पुत्र बंशी व सीता पत्नि धन्ना जाति ब्राहमण निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक को दिनाक 15.12.2001 को ग्राम हरिपुरा की आराजी खसरा नम्बर 261/3 रकबा 15 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते